

कर्नाटक यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजनाकोबजट 2019-20 मेंफिरसेशुरूकियाजाएगा

कर्नाटक यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजनाकोबजट 2019-20

मेंफिरसेशुरूकियाजाएगा कर्नाटक सरकार। किसानों के लिए यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यह यशस्विनी सहकारी किसान स्वास्थ्य देखभाल योजना (YCFHS) पहले कर्नाटक के सहकारी किसानों के लिए 14 नवंबर 2002 (w.e.f 1 जून 2003 को लागू) पर शुरू की गई थी। यशस्विनी योजना देश की सबसे बड़ी स्व-वित्तपोषित स्वास्थ्य योजना में से एक है और सीएम ने कहा कि यह योजना आयुष्मान भारत - पीएम जन आरोग्य योजना की जगह लेने जा रही है। यशस्विनी स्व-वित्तपोषित स्वास्थ्य देखभाल योजना ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल योजना की अवधारणा पर आधारित है और नेटवर्क अस्पतालों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह यशस्विनी योजना राज्य भर में फैले सहकारी किसानों को प्रभावी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है।

अब इस योजना को कर्नाटक बजट 2019-20

में फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। कर्नाटक में यह स्वास्थ्य बीमा योजना किसान सहकारी समितियों और उनके परिवार के सदस्यों को सर्जिकल कवर की एक कम कीमत के उत्पाद प्रदान करती है। लाभार्थी का योगदान छोटा है और सभी नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस उपचार उपलब्ध है। कर्नाटक यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना इस सहकारी किसान स्वास्थ्य देखभाल योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

यशस्विनी योजना का लाभ उठाने के लिए,

एक व्यक्ति को राज्य के ग्रामीण सहकारी समितिका सदस्य होना चाहिए। किसानों के सभी परिवार के सदस्य इस यशस्विनी स्व-वित्तपोषित स्वास्थ्य देखभाल योजना का लाभ उठा सकते हैं, हालांकि वे ग्रामीण सहकारी समिति के सदस्य (3 सदस्यों के साथ) हैं। प्रत्येक लाभार्थी को एक निर्धारित वार्षिक योगदान देना आवश्यक है।

2017-18 में, सदस्य का योगदान रु। ग्रामीण यशस्विनी के लिए 300

पीए और रु। शहरी यशस्विनी के लिए 710 पीए। योजना 1 जून से शुरू होती है और वित्तीय वर्ष के 31

मई को समाप्त होती है। नामांकन की अवधि जुलाई से शुरू होती है और हर साल अक्टूबर तक बंद हो जाती है। यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना सभी ग्रामीण सहकारी समिति सदस्यों,

स्वयंसहायतासमूह / स्ट्रीशक्तीसमूहों के सदस्यों के लिए खुली है,
जो सहकारी समितियों या बैंकों, बुनकरों,
बीड़ी श्रमिकों और मछुआरा समाजों के सदस्यों के साथ वित्तीय लेन देन करते हैं। यशस्विनी योजना
कर्नाटक के पूरे राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी शहरों पर मुख्य ध्यान केंद्रित करती है। यशस्विनी
सहकारी किसान स्वास्थ्य देखभाल योजना (वाईसीएफएचएस) कार्यान्वयन

कर्नाटक यशस्विनी योजना ट्रस्ट के मान्यता प्राप्त नेटवर्क अस्पतालों के माध्यम से कार्यान्वित की
जाती है। पूरे राज्य में लगभग 730

नेटवर्क अस्पताल हैं जिनमें निजी और सरकारी अस्पताल शामिल हैं। ट्रस्ट अनुमोदित अपात्र मान
दंड के अनुसार चिकित्सा /

सर्जिकल सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क अस्पतालों की पहचान और अनुमोदन करता है। य
शस्विनी योजना के लाभार्थी किसी भी नेटवर्क अस्पतालों में उपचार और कैशलेस अस्पताल में भ
र्ती सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उपचार कालाभ उठाने के लिए,

लाभार्थियों को निकटतम नेटवर्क अस्पताल से संपर्क करना होगा। अस्पतालों में समन्वयक लाभार्
थी के यूएचआईडी कार्ड,

लाभार्थियों द्वारा भुगतान किए गए नामांकन शुल्क की जांच करता है और रोगियों को प्रारंभिक निदा
न और बुनियादी परीक्षणों से गुजरने की सुविधा देगा। यदि सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो
ती है,

तो अस्पताल रोगियों को स्वीकार करता है और दस्तावेजों के प्रमाण के साथ प्रबंधन सेवा प्रदाताओं
(MSP) को प्री-ऑर्ट अनुरोध भेजता है।

नेटवर्क अस्पताल इसके बाद लाभार्थियों को कैशलेस उपचार और सर्जरी प्रदान करेंगे,
जो कि लिटरेड इनर यशस्विनी स्कीम के अनुसार है। सभी नेटवर्क अस्पतालों में डिस्चार्ज फॉरवर्ड
ओरिजिनल बिल, डिस्चार्ज सारांश के साथ-

साथ मरीज के हस्ताक्षर और एमएसपी के लिए अन्य दस्तावेजों के प्रसंस्करण और दावों के निपटान
के लिए। ट्रस्ट बिल की प्राप्ति के 45

दिनों के भीतर एमएसपी के माध्यम से सभी नेटवर्क अस्पतालों को भुगतान करता है। कर्नाटक यश
स्विनी योजना चिकित्सा लाभ यशस्विनी ट्रस्ट द्वारा पहचानी गई लगभग 823

प्रकार की सर्जिकल प्रक्रियाएँ जिन्हें सर्जरी की सूची में परिभाषित किया गया है।

, यह भाग लेने वाले अस्पतालों के साथ पूर्व-शुल्कित टैरिफ पर कुछ बहिष्करणों के अधीन है।

2006-07 से, राज्य सरकार। इसमें निम्नलिखित चिकित्सा लाभ शामिल हैं -

कृषि आपात स्थिति, बैल की चोटों और इलेक्ट्रिक के झटके, सामान्य प्रसव, नव-

प्रसव देखभाल और एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया का संचालन करते समय चिकित्सकीय आपात स्थिति
जैसे कि कुत्ते के काटने, सांप के काटने, डूबने और दुर्घटनाएं शामिल हैं। सर्जरी पैकेज में दवाइयों,

उपभोग्यसामग्रियों, ऑपरेशनथियेटरकीलागत, एनेस्थीसिया, सर्जनशुल्क, पेशेवरशुल्क, सलाहकारशुल्क, नर्सिंगशुल्क, सामान्यवार्डबेडचार्जआदिशामिलहैं। प्रत्येकसर्जरीकेलिएपैकेजकीदरेंकर्नाटकमेंयशस्विनी योजनाकेतहततयकीगईहैं।।